वॉल्यूम:2 अंक:1 अगस्त 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश

अरुण कुमार सिन्हा
अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

1 जुलाई 2019 को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अखिल भारतीय जल शक्ति अभियान शुरू करने की घोषणा की है . यह अभियान 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक नागरिक भागीदारी के माध्यम से चलेगा. पूर्वोत्तर मानसून से प्रभावित होने वाले राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक अतिरिक्त चरण 2 चलाया जाएगा. यह अभियान 256 जिलों के अंतर्गत 1592 जल संकटग्रस्त ब्लॉकों पर केंद्रित होगा. जल शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में के ज आ के लगभग 140 तकनीकी अधिकारियों को तैनात किया गया है.

संसद के मानसून सत्र में जल क्षेत्र से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों नामतः बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (आई एस आर डब्लू डी) (संशोधन), विधेयक, 2019 पेश किए गए. बांध सुरक्षा विधेयक देश भर में बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है. यह बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का भी प्रावधान करता है. अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को कारगर बनाने एवं वर्तमान कानूनी और संस्थागत संरचना को मजबूत बनाने का प्रयास करता है.

प्रस्तावित विधेयक में कई न्यायाधिकरणों के बजाय एकल ट्रिब्यूनल (कई बेंचों के साथ) का प्रावधान किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य (तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य) शामिल होंगे. आई एस आर डब्लू डी (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है.

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निवेश-पूर्व गतिविधियों और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एम पी पी) के लिए 1600 करोड़ रूपए के विभिन्न निवेशों हेतु अनुमोदन दे दिया है. दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (दिबांग एमपीपी) की परिकल्पना बाढ़ नियंत्रण करने वाली भंडारण आधारित जल-विद्युत परियोजना के तौर पर की गई है. केंद्रीय जल आयोग, इस परियोजना के सिविल कार्यों के मूल्यांकन में शामिल था.

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 08.07.2019 को आयोजित 142 वीं बैठक में उत्तर कोयल परियोजना की संशोधित लागत अनुमान (7वें) को स्वीकार किया गया. सदस्य (डब्लू पी एंड पी), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी), समय-समय पर उत्तरी कोयल परियोजना की प्रगति की निगरानी कर रही है एवं इसकी 21 वीं बैठक 02.07.2019 को हुई . केंद्रीय जल आयोग, देश भर में 91 महत्वपूर्ण जलाशयों के जल भंडारण की स्थिति की निगरानी कर रहा है और जुलाई 2019 के दौरान नौ अतिरिक्त जलाशयों को इस निगरानी के तहत लाया गया है. भविष्य में ऐसी निगरानी के अंतर्गत और भी जलाशयों को शामिल करना प्रस्तावित है.

सूचना

ई-भागीरथ पोर्टल

लेख साझा करने के लिए आसान ऑनलाइन पोर्टल

भागीरथ इंग्लिश

भागीरथ हिन्दी

फ्री पंजीकरण

Go to->www.cwc.gov.in -> portals -> e-bhagirath magazine -> register -> log in

विषय वस्तु

- बांध सुरक्षा बिल
- आई एस डबल्यू आर डी (संशोधन) बिल
- जल शक्ति अभियान
- प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं पर प्रगति
- सलाहकार समिति की बैठक
- उत्तरी कोयल परियोजना
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का आकलन
- ई-प्रवाह की निगरानी
- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 57वीं बैठक
- मुल्लापेरियार पर्यवेक्षी उप-समिति
- परियोजना निगरानी
- संयुक्त विशेषज्ञ टीम की 16वीं बैठक
- बाढ़ की स्थिति
- सीडब्लूसी – गूगल सहभागिता
- डीआरआईपी
- जलाशय निगरानी
- तिवारे बांध का निरीक्षण
- गैलरी
- राजभाषा- प्रशस्ति पत्र
- जल क्षेत्र समाचार मे इतिहास से

बांध सुरक्षा विधेयक

सरकार ने प्रस्तावित बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 के माध्यम से मौजूदा और नए बांधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक समान प्रक्रियाओं को विकसित करने का निर्णय लिया है. इसे 29.07.2019 को लोकसभा में पेश किया गया था. बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करना है.

यह विधेयक उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के माध्यम से बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकने व कम करने की परिकल्पना करता है . बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 बांध सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों को समाधान करता है, जिसमें बांधों का नियमित निरीक्षण, आपातकालीन कार्य योजना, व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा, उपकरण और सुरक्षा नियमावली शामिल हैं. यह बांध के मालिक / संबंधित संगठनों पर बांध की सुरक्षा का दायित्व (जवाबदेही) सुनिश्चित करता है और चूककर्ता के विरुद्ध कुछ कृत्यों को करने और नही करने के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है. यह विधेयक प्रावधान करता है कि बांधों के प्रत्येक मालिक को बांधों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त और विशिष्ट धनराशि की व्यवस्था करेंगे. यह विधेयक, बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करने और आवश्यक विनियमों की सिफारिश करने के लिए 'नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी ' के गठन का प्रावधान करता है . यह देश में बांध सुरक्षा के लिए नीति, दिशानिर्देश और मानकों को लागू करने के लिए एक नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण '(एन डी एस ए) की स्थापना के लिए प्रावधान करता है. यह विधेयक राज्य सरकारों द्वारा राज्य में सभी निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव तथा उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए 'स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी' के गठन का भी प्रावधान करता है. बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के अनुसार, प्रत्येक राज्य को बांध सुरक्षा, बांध-डिजाइन, हाइड्रो-मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जल विज्ञान, भू-तकनीकी जांच, उपकरण और बांध-पुनर्वास से संबंधित अधिकारियों द्वारा संचालित एक राज्य बांध सुरक्षा संगठन को स्थापित करना है.

विधेयक में प्रावधान के संबंध में, मीडिया का कुछ वर्ग इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के हितों के टकराव का मामला है क्योंकि केन्द्रीय जल आयोग ही परियोजना को डिजाइन कर रहा है. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि केन्द्रीय जल आयोग इन बांधों के संचालन और रखरखाव से कोई लाभ नहीं ले रहा है. इसके अलावा, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 1982 से ही मौजूदा तंत्र का नेतृत्व किया जा रहा है. विधेयक केवल इस मौजूदा व्यवस्था को औपचारिक और सांविधिक रूप दे रहा है. इसलिए, हितों के टकराव का प्रश्न ही नहीं उठता है.

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को 25 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया और बाद में 31 जुलाई, 2019 को पारित किया गया था. यह विधेयक , अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का प्रस्ताव रखता है(अंतिम संशोधन 2002 में किया गया) जो अंतर-राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करता है. जल्द ही इस विधेयक को राज्यसभा में लाए जाने की उम्मीद है.

संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के अधिनिर्णयन से संबंधित है. अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 (आई एस आर डब्लू डी अधिनियम , 1956) संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया गया था. वार्ताएं निष्फल होने कि स्थिति में इस अधिनियम में अंतर-राज्यीय नदी से संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन के लिए तदर्थ जल विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है. राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुसार विवादों का एक न्यायसंगत तरीके से अविलम्ब हल निकालने के लिए केंद्र में एक स्थायी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए. तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने आई एस आर डब्लू डी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों पर एक व्यापक समीक्षा की और इसे राष्ट्रीय जल नीति 2012 के उपर्युक्त मांग के अनुरूप संशोधित करने का प्रस्ताव किया.

उक्त संशोधन विधेयक में इस तरह के विवाद को अभिकरण (ट्रिब्यूनल) के पास भेजे जाने से पहले विवाद समाधान समिति (डी आर सी) के माध्यम से सौहार्दपूर्ण बातचीत द्वारा जल विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव है. यह स्थायी स्थापना और अवसंरचना वाली एकमात्र एकल स्थायी ट्रिब्यूनल (विभिन्न बेंचों के साथ) के लिए प्रावधान करने का प्रयास करता है ताकि प्रत्येक जल विवाद के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल स्थापित करने की आवश्यकता से छुटकारा पाया जा सके जो कि एक समय लेने वाली प्रक्रिया है. स्थाई जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ, जल विवादों को कार्यपरक बनाने में लगने वाले समय के कारण जल विवादों के अधिनिर्णयन में होने वाली देरी को दूर किया जा सकेगा .

जल शक्ति अभियान

जल शक्ति अभियान (जे एस ए) माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 1 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था. यह एक समयबद्ध मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसका समन्वय जल शक्ति मंत्रालय ,पेयजल और स्वच्छता विभाग (डी डी डब्लू एस) द्वारा किया जा रहा है. जे एस ए के अंतर्गत 256 जिलों में से कुल 1592 भूजल संकटग्रस्त ब्लॉकों का चुनाव किया गया है. 1592 ब्लॉकों में से, 312 क्रिटिकल ब्लॉक हैं, 1186 अति-शोषित ब्लॉक हैं और 94 ब्लॉक निचले भूजल उपलब्धता वाले हैं. जल शक्ति अभियान में, सरकार ने 256 जिलों में से प्रत्येक में केंद्रीय नोडल अधिकारी (सी एन ओ) के तौर पर 256 अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है, जिन्हें केंद्रीय सरकार के निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों व तकनीकी अधिकारियों तथा जिले के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है. इसमे केन्द्रीय जल आयोग के निदेशक और उप निदेशक स्तर के लगभग 140 तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है.

जे एस ए निम्नलिखित पांच आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है :

(i) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन

(ii) पारंपरिक और अन्य जल निकायों / टैंकों का नवीनीकरण

(iii) पुन: उपयोग और बोरेवेल को दुबारा भरी जाने वाली संरचनाए(रिचार्ज)

(iv) वाटरशेड का विकास (v) गहन वनीकरण

चेन्नई

तिरुचिरापल्ली

आदिलाबाद

भीलवाड़ा

प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं पर प्रगति

दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एम पी पी) के लिए पूर्व-निवेश गतिविधियों और विभिन्न खर्च के लिए 1600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. परियोजना की कुल अनुमानित लागत जून-18 के स्तर पर रु 28080.35 है. परियोजना सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद नौ वर्ष मे पूरी होगी. इस 2880 मे.वा. (12x240 मे.वा.) परियोजना से 90% प्रायिकता पर 11223 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा. यह भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है. इस बांध की ऊंचाई 278 मीटर है, और पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा. दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (दिबांग एम पी पी) की परिकल्पना जल संग्रहण एवं जल-विद्युत परियोजना के रूप में की गई है जिसका एक प्रमुख उद्देश्य बाढ़ संतुलन है. दिबांग एम पी पी के निर्माण से नीचे के एक बड़े क्षेत्र मे बाढ़ से बचाव होगा. ब्रह्मपुत्र नदी में योगदान देने वाली सभी नदियों के बाढ़ संतुलन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के बने मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के बाद, जिनमें से दिबांग एम पी पी एक घटक है, बड़े क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जाएगा और असम में बाढ़ के कारण होने वाली लगातार क्षति को कम करने में मदद मिलेगी. केन्द्रीय जल आयोग ऐसे जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के मूल्यांकन का कार्य करता है और इसकी लागत को के ज आ ने सितंबर 2017 में पुनरीक्षित किया था.

मांगदेचू जलविद्युत परियोजना

मांगदेचू जलविद्युत परियोजना केंद्रीय भूटान के ट्रोंगसा द्ज़ोंगखाग जिले में मांगदेचू नदी पर बना 720 मेगावाट का रन-ऑफ-रिवर पावर प्लांट है. इसे मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (एम एच पी ए) द्वारा भारत और भूटान की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है. यह भारत और भूटान की एक प्रमुख परियोजना है जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है. हाल ही में, परियोजनाओं की कुछ इकाइयों ने व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरू किया है.

अक्टूबर 2018 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के सिविल कार्यों के तृतीय संशोधित लागत अनुमान को 2017 के मूल्य स्तर पर रु. 3098.6 करोड़ में अनुमानित किया गया था.

सलाहकार समिति की बैठक

सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 142वीं बैठक 08.07.2019 को आयोजित की गई और निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार किया गया और स्वीकार किया गया :

परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना का प्रकार	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	लाभ
उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की 7वीं संशोधित लागत	बिहार एवं झारखण्ड	वृहद , सिंचाई	3042.16 (2018-19)	सीसीए-125500 हे. वार्षिक सिंचाई-114021 हे.
पुरना बैराज-2 (नेर धामना) की द्वितीय संशोधित लागत	महाराष्ट्र	मध्यम, सिंचाई	888.43 (2016-17)	सीसीए-5954 हे. वार्षिक सिंचाई-7024 हे.
राप्ती नदी और घाघरा के संगम से जिला देवरिया के ग्राम कुराह परासिया तक घाघरा नदी के बाएँ तट पर कटाव निरोधी कार्य	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	59.22 (2018)	लाभान्वित क्षेत्र- 9600 हे. लाभान्वित जनसंख्या- 26415

सी सी ए- खेती योग्य कमांड क्षेत्र, हे.- हेक्टेयर, अनुमानित लागत के साथ मूल्य स्तर दिया गया है

उत्तर कोयल परियोजना

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड राज्य के पलामू / गढ़वा जिलों में आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है. परियोजना के कार्यान्वयन में बाधाओं को हल करने के बाद, 1622.27 करोड़ रु रुपये की अनुमानित लागत पर उत्तर कोइल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त हुई थी .

के ज आ , बिहार और झारखंड राज्य सरकार के जल संसाधन विभागों और वाप्कोस के बीच उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन / पूर्णता के लिए एक अनुबंध समझौता पर सितंबर 2017 में हस्ताक्षर किया गया था . उत्तरी कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए के ज आ के सदस्य (डब्ल्यू पी एंड पी) की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) का भी गठन किया गया है. टी ई सी की 21 वीं बैठक 02.07.2019 को आयोजित की गई, जिसमें झारखंड और बिहार में उत्तर कोयल परियोजना की 7 वीं संशोधित लागत अनुमान (आर सी ई); राज्य वन विभाग से एनओसी प्राप्त होने के तुरंत बाद बांध स्थल पर काम शुरू करने के लिए वाप्कोस की तैयारी; झारखंड और बिहार दोनों राज्य सरकार द्वारा वाप्कोस को निर्धारित समय के भीतर कार्य निष्पादन के लिए सभी आवश्यक भूमि को सौंपने की प्रक्रिया को और वाप्कोस द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे शेष कार्यों की कार्य योजना और स्थिति पर चर्चा की गई.

बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक आकलन के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक

भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक आकलन के लिए बने विशेषज्ञ समिति की चतुर्थ बैठक श्री ए के सिन्हा, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 26.07.2019 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई. इसमे आई.एम.डी., एस ओ आई, जी एफ सी सी, बी बी, एम एच ए, एन डी एम ए, एन आर एस सी, के ज आ, भारतीय तकनीकी संस्थान, गुवाहाटी के प्रतिभागियों ने भाग लिया.

केन्द्रीय जल आयोग ने गूगल अर्थ इंजन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पर लैंडसैट डेटा रिपॉजिटरी (1989-2017) से सैटेलाइट इमैजरीज का विश्लेषण करके बिहार राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अधिकतम क्षेत्र पर अध्ययन प्रस्तुत किया. इसी प्रकार इस तरीके के अध्ययन को पूरे भारत में विस्तारित किया गया है. विभिन्न उपलब्ध तरीकों (गणितीय मॉडलिंग और रिमोट सेंसिंग) की ताकत और सीमाओं पर भी चर्चा की गई. विशेषज्ञ समिति के सदस्यों का विचार था कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र के वैज्ञानिक आकलन के लिए अपनाई गई वर्तमान कार्यप्रणाली एन आर एस सी के कार्यप्रणाली के समान है जिसमें एकमात्र अंतर यह है कि इसमे माइक्रोवेव उपग्रह डेटा का उपयोग नहीं हुआ है. उपरोक्त के मद्देनजर, निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. केन्द्रीय जल आयोग को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अन्य स्रोतों से भी माइक्रोवेव और मल्टी-स्पेक्ट्रल डेटा को उपयोग करके अध्ययन में वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि एन आर एस सी ने उल्लेख किया है कि वह अन्य एजेंसियों के साथ माइक्रोवेव डेटा साझा नहीं कर सकता है.
2. चूँकि उपग्रह से प्राप्त जलप्लावन की जानकारी दो आयामी है इसलिए उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों का विश्लेषण करके , पुनरावृत्ति अंतराल(रीकर्रेंस इंटरवल) की गणना की जाएगी और फिर जलप्लावन मानचित्रों का वर्णन करने के लिए इसे तर्कसंगत रूप से वर्गीकृत किया जाएगा.

गंगा के लिए ई-प्रवाह की निगरानी

अक्टूबर 2018 में, केंद्र सरकार ने गंगा नदी के लिए विभिन्न स्थानों पर बनाए रखे जाने हेतु न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को अधिसूचित किया था . अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय जल आयोग आंकड़ों का संरक्षक होगा, जो पर्यवेक्षण, निगरानी, एवं प्रवाह के नियमन का उत्तरदायी होगा, और उचित प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी की रिपोर्टिंग करेगा और किसी भी आपात स्थिति में जल भंडारण मानदंडों के बारे में निर्णय लेगा. बिजनौर (उ.प्र.) में चौधरी चरण सिंह बैराज, हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज और ऋषिकेश में पशुलोक बैराज पर ई-फ्लो के अनुपालन हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग और सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 27-28 जुलाई 2019 के दौरान किया निरीक्षण गया. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने इस तथ्य पर बल दिया कि आवश्यक पर्यावरणीय प्रवाह का अनुपालन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और वांछित ई-प्रवाह को किसी भी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए. बिजनौर और ऋषिकेश में परियोजना प्राधिकरणों को स्वचालित आंकड़ा अधिग्रहण और हस्तांतरण प्रणाली को तुरंत स्थापित करने की सलाह दी गई.

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यू वाई आर बी) की 57वीं बैठक

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 57वीं बैठक 11.07.2019 को श्री एस.के. हलदर, सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग और अध्यक्ष, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्य सचिव, हरियाणा सिंचाई विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के अन्य मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में निम्न मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई.

- दिल्ली जल आपूर्ति मुद्दा
- ओखला हेडवर्क्स से राजस्थान को यमुना के पानी की कम आपूर्ति
- ऊपरी यमुना बेसिन में भंडारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन
- यमुना नदी के जल गुणवत्ता के मुद्दे
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कच्चे जल स्रोत के रूप में अपशिष्टों के उपयोग द्वारा कच्चा जल वृद्धि
- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में प्रशासनिक सुधार

मुल्लापेरियार पर्यवेक्षी उप-समिति

मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के निर्णय के अनुपालन में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा पूर्व में 01.07.2014 को एक तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया गया था. इसके बाद, पर्यवेक्षी समिति के अध्यक्ष ने दिनांक 13.08.2014 के पत्र के माध्यम से पर्यवेक्षी उप समिति का गठन किया. सुपरवाइजरी सब कमेटी का नेतृत्व दक्षिण-पश्चिमी नदियों डिविजन के अधिशासी अभियंता, सीडब्ल्यूसी, कोच्चि द्वारा किया जाता है और इसमें तमिलनाडु और केरल सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं. उप-समिति को बांध की सुरक्षा की बारीक़ निगरानी, बांध का समय-समय पर निरीक्षण, विशेष रूप से तत्कालिक तौर पर मानसून से पूर्व तथा मानसून के दौरान निरीक्षण करने के लिए सभी डेटा की जांच करने और इसकी सुरक्षा के लिए कड़ी चौकसी रखने और आवश्यक उपायों की सिफ़ारिश करने तथा पर्यवेक्षी समिति के संज्ञान में कोई भी तत्कालिक मुद्दे लाने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

मुल्लापेरियार उप समिति की 36 वीं बैठक 10.07.2019 को कुमिली में मुल्लापेरियार की पर्यवेक्षी समिति के कार्यालय में आयोजित की गई . उप समिति ने बांध का दौरा किया और रिसाव, स्पिलवे के शटर का काम करना, पीएच मान आदि की जांच की. बैठक के दौरान, भूकंपीय इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल तैयार करने की स्थिति, टेलीमेट्री स्टेशनों की स्थापना आदि जैसे मामलों पर चर्चा की गई.

परियोजना निगरानी

माननीय जल शक्ति मंत्री ने 17 से 19 जुलाई 2019 के दौरान पी एम के एस वाई के अंतर्गत 99 ए आई बी पी परियोजनाओं की राज्यवार प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक ली. इसमें अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

सीडब्ल्यूसी अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से देश मे चल रहे जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी करता है. यह अड़चनों की पहचान करने में मदद करता है एवं सुनिश्चित करता है कि निधियों का सही उपयोग किया जा रहा है जो बाद में धनराशि की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधार बनाता है. प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पी एम के एस वाई-ए आई बी पी) के अंतर्गत प्राथमिकता वाली चल रही परियोजनाओं हेतु सीडब्ल्यूसी की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निगरानी करने के लिए कुल 4 दौरे किए गए हैं. महाराष्ट्र के विशेष पैकेज के अंतर्गत प्राथमिकता वाली चल रही परियोजनाओं हेतु क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निगरानी करने के लिए दो दौरे किए गए हैं . बेम्बाला वृहद सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र के लिए 2013-14 के मूल्य स्तर पर 3517.83 करोड़ रुपये (ए आई बी पी घटक लागत 2483.54 करोड़ रुपये) की फास्ट ट्रैक प्रोफार्मा क्लीयरेंस (एफ टी पी) की स्वीकृति दी गई . तेलंगाना के 205.25 करोड़ रुपये (410 करोड़ रूपए का 50%) और महाराष्ट्र के 2.55 करोड़ रुपये के पहली किश्त की धनराशि जारी करने के दो प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी मुख्यालय की उचित सिफारिश के साथ मंत्रालय को भेज दिए गए हैं.

संयुक्त विशेषज्ञ टीम की 16वीं बैठक

नेपाल और भारत के बीच विशेषज्ञों की संयुक्त टीम (जे टी ई) की 16 वीं बैठक 25-26 जुलाई, 2019 को सेवा भवन, के ज आ, नई दिल्ली में आयोजित की गई. भारतीय दल का नेतृत्व श्री आर के सिन्हा, सदस्य (नदी प्रबंधन), केंद्रीय जल आयोग और नेपाल टीम का नेतृत्व विद्युत विकास विभाग, नेपाल सरकार के महानिदेशक श्री मधु प्रसाद भेटुवाल ने किया.

यह बैठक दोनों देशों के लिए लाभकारी सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना एवं सन कोसी भंडारण एवं विपथन (डायवर्सन) संयुक्त परियोजनाओं के संबंध में आयोजित की गई थी.

जुलाई 2019 के दौरान बाढ़ की स्थिति

जुलाई माह के दौरान, देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति देखी गयी. के ज आ के दो बाढ़ पूर्वानुमान (एफ एफ) स्टेशनों और दो बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई.

राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	तारीख
असम	धुबरी	ब्रह्मपुत्र	धुबरी	17/07/2019
बिहार	मधुबनी	कमलाबलन	झंझारपुर	14/07/2019
असम	बारपेटा	ऐयी	ऐयी एनएच क्रासिंग	11/07/2019
बिहार	सुपौल	कोसी	बीरपुर	13/07/2019

1 मई से 31 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 47 बाढ़ पूर्वानुमान(एफ एफ) स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ स्थिति की देखी गयी.

1 मई से 31 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में 21 बाढ़ पूर्वानुमान(एफएफ) स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गयी.

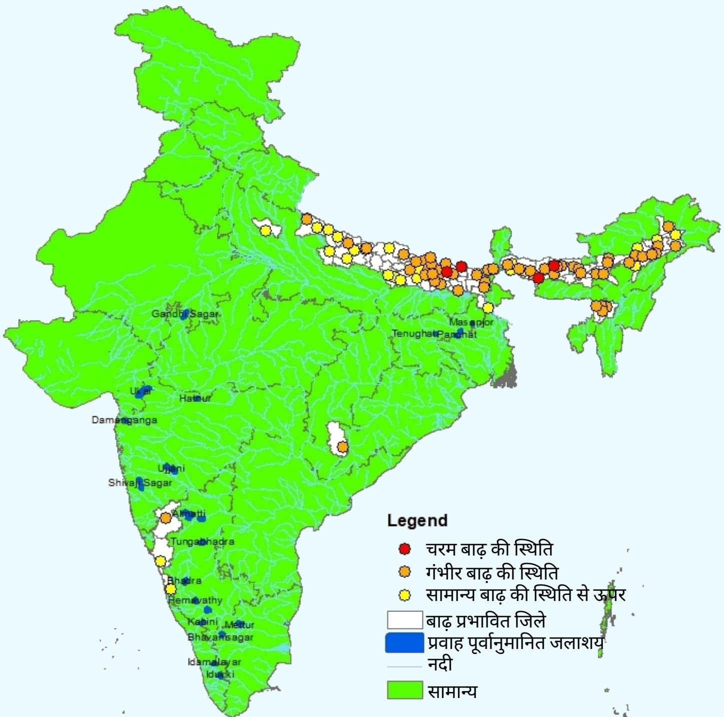

सी डब्लू सी – गूगल सहभागिता

गूगल के सहयोग से सी डब्लू सी ने संबंधित हितधारकों के लिए वास्तविक काल पर संभावित प्रभावित जनता के लिए बाढ़ आप्लवन चेतावनी का प्रसार शुरू कर दिया है. ये चेतावनी सी डब्ल्यू सी पूर्वानुमान स्टेशनों के आसपास बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं. इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् निम्न, मध्यम और उच्च बाढ़ जोखिम.

अब तक, 7 स्थानों नामतः ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नेमतीघाट, तेजपुर, गोलपारा और गुवाहाटी डी सी कोर्ट , गंगा नदी पर स्थित पटना गांधीघाट और कहलगांव तथा घाघरा नदी पर स्थित अयोध्या के लिए चेतावनी जारी कि गई हैं. इस तरह की व्यावहारिक चेतावनी गूगल प्लेटफार्मों और सीडब्ल्यूसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दी जा रही है.

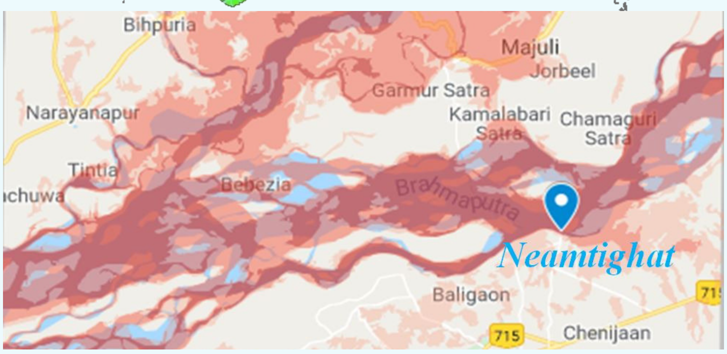

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डी आर आ ईपी) चरण- II और III के लिए राज्यों से परामर्श

डी आर आई पी चरण- II और चरण- III के लिए राज्य परामर्श और मूल्यांकन बैठकें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ उनके संबंधित सचिवालयों में क्रमश: 2, 4, 19 और 20 जुलाई 2019 को आयोजित की गईं. इस बैठक में राज्य के जल संसाधन विभाग, केंद्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया.

केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सी पी एम यू) और विश्व बैंक की टीम द्वारा बजट परिव्यय, स्थानिक कवरेज, समय-सीमा, भाग लेने वाली एजेंसियां, वित्त पोषण पैटर्न, कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र तथा डी आर आई पी चरण- II एवं चरण- III इत्यादि हेतु तैयारी की गतिविधियों के लिए समयसीमा को कवर करते हुए विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं. श्री प्रमोद नारायण ,निदेशक(डी एस आर) व परियोजना निदेशक (पी डी), डीआरआईपी ने इस नए प्रोजेक्ट के मूल उद्देश्यों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा बांध सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में पूर्व में की गई पहल के बारे में बताया. उन्होंने पुनर्वास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण गतिविधियों आदि के संदर्भ में चल रही डी आर आई पी गतिविधियों, इसकी स्थिति और उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी.

तमिलनाडु में विलिंगडन और चोलावरम बांधों का निरीक्षण

विशेषज्ञ पैनल जिसमे सी डब्ल्यू सी के श्री विवेक त्रिपाठी, निदेशक, तटबंध (ई एंड एन ई), श्री अनिल जैन, निदेशक, तटबंध (एन डब्लू एंड एस) एवं श्री प्रमोद नारायण, निदेशक (डी एस आर) तथा श्री के अरविंद, निदेशक, इंजी. भूविज्ञान प्रभाग, जीएसआई व डॉ. आर चित्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभारी मृदा विधा , सी एस एम आर एस शामिल थे ने 25 से 27 जुलाई 2019 के दौरान तमिलनाडु के विलिंगडन और चोलावरम बांधों का निरीक्षण किया गया. ये बांध 100 साल से अधिक पुराने हैं और ढलान मे कमजोरी और दरार जैसे संकट का सामना कर रहे हैं. विशेषज्ञों ने चोलावरम बांध में फाटकों और नहरों की आपूर्ति के लिए मुख्य जलद्वार का निरीक्षण किया. राज्य की डिजाइन टीम ने विलिंग्डन और चोलावरम बांधों पर सुरक्षा के मुद्दों और पुनर्वास हेतु किए गए उपायों के बारे में विशेषज्ञ पैनल को अवगत कराया.

डी आर आई पी के अंतर्गत कार्यशाला

29 जुलाई, 2019 को के ज आ में कंक्रीट ग्रेविटी बांध के भूकंपीय मूल्यांकन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई. डॉ. आशुतोष बागची, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भवन सिविल और पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग, कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल, कनाडा ने कंक्रीट ग्रेविटी बांध पर भूकंपीय अनुक्रिया और संरचनात्मक गतिकी (डायनामिक्स) की अवधारणाओं, पुराने बांधों के भूकंपीय आकलन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की.

डिज़ाइन बाढ़ की समीक्षा

सीडब्ल्यूसी के जल वैज्ञानिक अध्ययन संगठन (एच एस ओ) को बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डी आर आई पी) के अंतर्गत भारत के 18 राज्यों के 687 परियोजनाओं की डिजाइन बाढ़ समीक्षा अध्ययन का कार्य सौंपा गया है. 100 परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति 31 जुलाई 2019 तक एच एस ओ, सी डब्ल्यू सी द्वारा 103 परियोजनाओं की डिजाइन बाढ़ समीक्षा पूरी की गई.

राज्य	परियोजना
राजस्थान	56
आंध्र प्रदेश	35
तेलंगाना	8
गोवा	2
केरल	1
तमिल नाडु	1

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग ने भंडारण निगरानी के लिए 9 अतिरिक्त जलाशयों को शामिल किया. अब, सी डब्ल्यू सी साप्ताहिक आधार पर देश के 100 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को एक बुलेटिन जारी कर रहा है. इन 100 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 163.045 बी सी एम है, जो कि देश मे बने भंडारण की अनुमानित क्षमता 257.812 बी सी एम का लगभग 63.24% है.

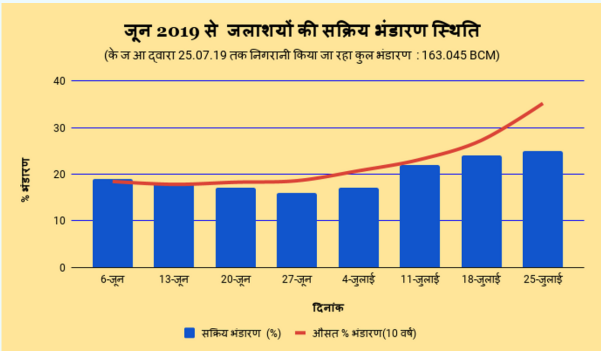

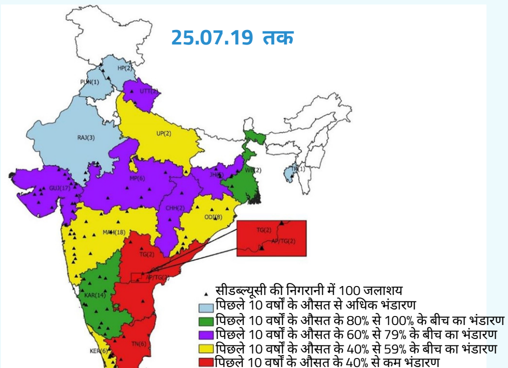

दिनांक 25.07.2019 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 40.836 बी सी एम है, जो इन जलाशयों की कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का 25% है. हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 65.020 बी सी एम था और पिछले 10 वर्षों के लाइव स्टोरेज का औसत 57.456 बी सी एम था. इस प्रकार से , उपलब्ध लाइव स्टोरेज पिछले वर्ष की इसी अवधि के लाइव स्टोरेज का 63% है और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 71% है. सी डब्ल्यू सी अपने निगरानी नेटवर्क में और अधिक संख्या में जलाशयों को जोड़ने की प्रक्रिया में कार्य कर रहा है.

तिवारे बांध का निरीक्षण

हाल ही में तिवारे नामक एक बांध, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक मिट्टी का बांध है, 3 जुलाई 2019 की रात को खंडित हो गया. बांध के क्षतिग्रस्त होने से जलाशय में एकत्रित पानी अनियंत्रित होकर तीव्र प्रवाह में बहा, जिससे इसके आसपास के सात गांवों में जान-माल का नुकसान हुआ.

इसके निरीक्षण के लिए केंद्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन द्वारा एक केंद्रीय टीम का गठन किया गया था जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं :

- श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, बांध सुरक्षा संगठन, के ज आ, नई दिल्ली
- श्री राजीव सिंघल, निदेशक, बांध सुरक्षा निगरानी, के ज आ, नई दिल्ली
- श्री अनिल जैन, निदेशक,तटबंध, (उ.प. एवं द.), के ज आ, नई दिल्ली
- निदेशक, के.मृ.एवं सा.अनु.शा.,नई दिल्ली

केंद्रीय दल ने 22/23.07.2019 को महाराष्ट्र सरकार के राज्य बांध सुरक्षा संगठन, राज्य केंद्रीय डिजाइन कार्यालय, परियोजना कार्यालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ तिवारे बांध का दौरा किया.

गैलरी

माननीय गृह मंत्री ने 13 जुलाई, 2019 को गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केन्द्रीय जल आयोग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न मामलों पर एक बैठक की

मुख्य अभियंता, ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग ने माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, मेघालय सरकार के साथ 2 जुलाई 2019 को उनके कार्यालय में घाटी परियोजनाओं के संबंध में बैठक की

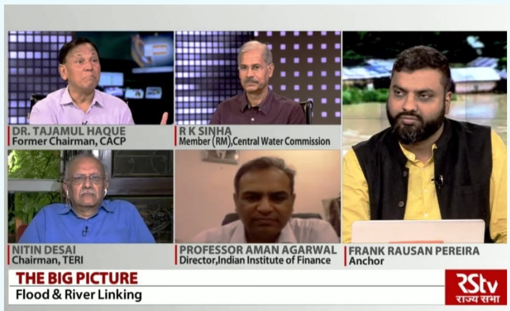

श्री आर. के. सिन्हा, सदस्य (न.प्र.), के ज आ 15 जुलाई 2019 को राज्यसभा टीवी पर बाढ़ और नदियों के अंतर्योजन के बारे में पैनल चर्चा में भाग लिया

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नागालैंड में दोयांग नदी पर बने दोयांग जलाशय पर दूरमापी प्रणाली की स्थापना 06-07-19 को पूर्ण हुई

केन्द्रीय जल आयोग, कोलकाता में वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रारम्भ हुई

केंद्रीय जल आयोग , कोलकाता द्वारा IEM पब्लिक स्कूल में जल संरक्षण पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अभियंता श्री ए के खरया द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिया गयाऔर उन्हें जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया तथा इसके लिए प्रोत्साहित किया

प्रशस्ति पत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय), पटना

सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

(बिहार एवं झारखण्ड), पटना

प्रशस्ति पत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय), पटना के सदस्य कार्यालय प्रबोधन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, पटना को अप्रैल-जून, 2018 एवं जुलाई-सितंबर, 2018 तिमाही में शत प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में करने के लिए यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना की जाती है।

दिनांक : 25.07.2019

स्थान : पटना

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार एवं झारखण्ड) सह अध्यक्ष, न.रा.का.स. (कें.), पटना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय), पटना

सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

(बिहार एवं झारखण्ड), पटना

प्रशस्ति पत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय), पटना के सदस्य कार्यालय प्रबोधन निदेशालय, के.ज.आ., पटना को अक्तूबर-दिसंबर, 2018 एवं जनवरी-मार्च, 2019 तिमाही में शत प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में करने के लिए यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना की जाती है।

दिनांक : 25.07.2019

स्थान : पटना

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार एवं झारखण्ड) सह अध्यक्ष, न.रा.का.स. (कें.), पटना

समाचार में जल क्षेत्र

- नल से जल का लक्ष्य 6 साल पहिले हासिल कर लेंगे: केंद्र (पंजाब केसरी 02.07.2019)
- मानसून की रफ्तार को धीमा कर सकता है अलनीनो (हिंदुस्तान, 04.07.2019)
- जल: 2024 तक हर घर मे कनेक्शन देने का लक्ष्य (हिंदुस्तान 06.07.2019)
- पंजाब, हरियाणा व केंद्र निकालें एसवाईएल मसले का समाधान (दैनिक जागरण 10.07.2019)
- तमिलनाडु ने कावेरी पर बांध बनाने की योजना पर आपत्ति उठाई (पंजाब केसरी 11.07.2019)
- मेघालय मंत्रिमंडल ने जल नीति के मसौदे को मंजूरी दी (हिंदुस्तान, 14.07.2019)
- जल जीवन मिशन के लिए वित्त आयोग से 50 हजार करोड़ अनुदान की दरकार (दैनिक जागरण 24.07.2019)
- बिहार मे भयावह हुई बाढ़, 17 की मौत (दैनिक जागरण, 25.07.2019)
- पानी बचाने जुटेंगे 11 हिमालयी राज्य (नवभारत टाइम्स 28.07.2019)
- हरिके बैराज का पौंड लेवल बढ़ाने पर राजस्थान को मिल सकता है 18000 क्यूसेक पानी (राजस्थान पत्रिका 31.07.2019)

राज्यों से समाचार

तमिलनाडु राज्य के चेन्नई नगर के दक्षिणी भाग में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से तीसरे प्रमुख अलवणीकरण संयंत्र (150 एम एल डी) के लिए आधारशिला रखी गई. वर्तमान में नगर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो प्रमुख अलवणीकरण संयंत्र प्रचालन में हैं जिसमे प्रत्येक की क्षमता 100 एम एल डी है. उपरोक्त के अलावा, शहर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए 400 एम एल डी क्षमता वाला अलवणीकरण संयंत्र निर्मित किए जाने का भी प्रस्ताव है.

- मेघालय राज्य जल नीति 2019 को जुलाई, 2019 में अपनाया गया.
- 26 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 पारित किया.
- बिहार में जल, जीवन और हरियाली अभियान की शुरुआत होगी.

पदोन्नति

श्री अरुण कुमार सिन्हा
अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग
के पद पर पदोन्नत हुए

श्री मंजीत सिंह ढिल्लों
उच्च प्रशासनिक ग्रेड में
पदोन्नत हुए

प्रशिक्षण

इतिहास से- जल क्षेत्र में भारत-भूटान सहयोग और केन्द्रीय जल आयोग

भारत ने भूटान की शाही सरकार के सहयोग के लिए 1955 से हाइड्रो-मौसम संबंधी आंकड़ा संग्रह, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक जांच के माध्यम से प्रमुख, मध्यम और लघु-जलविद्युत परियोजनाओं की डीपीआर बनाने के लिए सहायता प्रदान करना शुरू किया. इसके लिए 1961 में भूटान में एक स्थायी कार्यालय अर्थात भूटान इन्वेस्टीगेशन डिवीजन (बी आई डी) केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग) बनाया गया. वर्ष 1961 जलढाका समझौते पर हस्ताक्षर के साथ शुरू भी हुआ. जलढाका परियोजना पश्चिम बंगाल में भारत-भूटान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में स्थित है. 1966 में पूर्ण इस संयंत्र की कुल क्षमता लगभग 18,000 किलोवाट थी. 1961 के समझौते के अनुसार, भूटान को 250 किलोवाट बिजली की आपूर्ति मुफ्त मिलनी थी.

1974 में भारत और भूटान ने चुखा जल विद्युत परियोजना (सी एच पी) के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह परियोजना 1987-88 में चालू की गई जिसकी उत्पादन क्षमता 336 मेगावाट थी. भूटान की पहली मेगा पावर परियोजना, सी एच पी को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था. बीआईडी ने चुखा जलविद्युत परियोजना की डीपीआर के लिए सभी आवश्यक अध्ययनों के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, जल विज्ञान डेटा संग्रह , भूवैज्ञानिक जांच और डेटा का संग्रह किया. डेटा संग्रह, अध्ययन और विश्लेषण, डिजाइनिंग और डीपीआर की तैयारी सहित विभिन्न पहलुओं पर परियोजना के विकास का हर पहलू बेहद चुनौतीपूर्ण था. केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने निर्माण के दौरान मुख्य भूमिका निभाई जिन्होंने वहां प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न वरिष्ठ पदों और कार्य स्तरों पर कार्य किया.

तला एचईपी

चुखा जल विद्युत परियोजना (सी एच पी) द्वारा अर्जित शानदार सफलता और आर्थिक भलाई ने नई परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाया. भारत और भूटान के बीच सबसे बड़ी संयुक्त परियोजनाओं में से एक 1,020 मेगावाट की तला जलविद्युत परियोजना को भी भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया गया था. बी आई डी, के ज आ ने डीपीआर की तैयारी के लिए आवश्यक फील्ड जांच और सर्वेक्षण किया था जो कि वाप्कोस द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था. इस परियोजना की एक अनूठी विशेषता मछली के प्रवास के लिए मछली की सीढ़ी है. परियोजना 2002 में पूरी तरह से चालू हो गई थी. कुरीचू जलविद्युत परियोजना (60 मेगावाट) के लिए भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे. भारत और भूटान के बीच जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग एक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध का एक सच्चा उदाहरण है, जो भारत को स्वच्छ बिजली प्रदान करता है, भूटान के लिए निर्यात राजस्व अर्जित करता है, और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करता है. बी आई डी के माध्यम से केन्द्रीय जल आयोग ने दो देशों के बीच इस सहयोग की सफलता में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

केंद्रीय जल आयोग
नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय ,भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ई.एम.ओ.) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(पी.एम.ओ.) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस, के. राजन निदेशक(टी.सी.) - सदस्य
- श्री प्रवीन कुमार, निदेशक, (डबल्यू.एस.ई.) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक (आई.एस.एम.-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक (डी एण्ड आर. सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्द्र पॉल, सहायक निदेशक (राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक (डबल्यू.एस.ई.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई मेल : media-cwc@gov.in